भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3023

गुरूवार, 13 अगस्त, 2026/22 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्वतीय पर्यटन स्थलों की वहन क्षमता

3023 श्री विवेक के. तन्खाः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग और गंगटोक के लिए वहन क्षमता संबंधी अध्ययन संचालित किए गए हैं, और यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत क्षमता की तुलना में वास्तविक वार्षिक पर्यटकों की आवक कितनी रही है;

(ख) क्या इनमें से कोई भी स्थल अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक संचालित हो रहा है तथा सीमाओं को लागू करने के लिए क्या विनियामक कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या पर्वतीय पर्यटन के लिए कोई राष्ट्रीय वहन क्षमता रूपरेखा मौजूद है और यदि नहीं, तो इसके तैयार किए जाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) और (ख): वहन क्षमता के अध्ययन सहित पर्यटन गंतव्यों के विकास, प्रबंधन और मूल्यांकन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की है।

उत्तराखंड सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय से पर्यटकों और वाहनों की आवाजाही के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं और समर्थन भी दिया गया है। इन कदमों के अंतर्गत, 1 अगस्त, 2025 से मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है। यह पंजीकरण देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल के माध्यम से किंक्रेग और पिक्चर पैलेस सहित प्रवेश बिंदुओं पर लागू किया जा रहा है।

इसके अलावा, उत्तराखंड राज्य ने यह भी सूचित किया है कि नैनीताल शहर के केंद्र से 50 किलोमीटर दूर नैनीताल जिले के एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, कैंची धाम के संबंध

में, सांख्यिकी विभाग द्वारा वर्तमान में वहन क्षमता के विषय पर एक-वर्षीय अध्ययन किया जा रहा है।

(ग): साहसिक पर्यटन के लिए एकसमान सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक पर्यटन के सुरक्षित और सतत विकास हेतु, मानकीकृत नियमों, संस्थागत तंत्रों और सर्वोत्तम प्रथाओं की स्थापना करने में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को सहायता देने हेतु मॉडल साहसिक पर्यटन सुरक्षा ढ़ांचा तैयार किया है। यह ढ़ाचा पर्यटक की संख्या, कैंपसाइट के घनत्व, वाहन की पहुंच और अन्य प्रासंगिक मापदंडों के साथ प्रत्येक स्थल की वैज्ञानिक वहन-क्षमता का आकलन प्रदान करता है। इसमें संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के लिए वार्षिक वहन-क्षमता दिशानिर्देश तैयार करने की भी परिकल्पना की गई है।
